

उच्च शिक्षा अकादमी, शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर संकल्पना

भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान महाविद्यालयों की संख्या में भी प्रथम स्थान रखता है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 60 प्रतिशत छात्र राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं । वैश्वीकरण तथा तकनीक के विस्तार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है तथा विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने ज्ञान में निरन्तर वृद्धि करते रहें । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने अनेक, ठोस, नवीन कदम उठाये हैं । यथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, लोक एवं निजी सहभागिता, माडॅल कालेजों की स्थापना, महाविद्यालय की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग, संरचनात्मक ढांचे में सुधार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, महाविद्यालय पत्रिका तथा उच्च स्तरीय लेखों का प्रकाशन— इन सभी गतिविधियों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर पर निष्ठापूर्वक कार्य करना आवश्यक है । इस कार्य हेतु सबसे प्रभावी तरीका प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षक तैयार करना है । अकादमिक श्रेष्ठता में निरन्तर अभिवृद्धि प्रशिक्षण से ही सम्भव है । यूजीसी ने भी प्रशिक्षण के महत्व को पहचानते हुए व्याख्याताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने की उपयोगिता पर बल देते हुए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत एक निश्चित समयावधि में व्याख्याताओं को आमुखीकरण तथा पुनश्चर्चा कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है । प्रत्येक राज्य में अकादमिक स्टाफ कालेज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ।

राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में चयनित कर्मचारी, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक निश्चित समयावधि हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जिसमें उसे :-

- जिस संस्था में कार्य करना है उस की संकल्पना से परिचित कराया जाता है ।
- पद की जिम्मेदारियां चिन्हित की जाती हैं ।
- कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करता है ।
- संबंधित साहित्य उपलब्ध कराया जाता है ।
- सभी समसामयिक विषयों पर चर्चा हेतु मंच प्रदान होता है ।
- सामूहिक चर्चा तथा समूह कार्य के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित शिक्षक की कल्पना बहुत प्राचीन है । अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शिक्षक को बी.एड. की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है । इसी तरह से प्रारम्भिक शिक्षा में भी नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है जिससे बच्चों को संभालने व पढाने में दक्षता में वृद्धि होती है ।

यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि अब तक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी प्रशिक्षित व्याख्याता की आवश्यकता पर किसी का ध्यान नहीं गया । एक व्याख्याता के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निश्चित है, परन्तु चयन के पश्चात बिना किसी प्रशिक्षण के, एक अध्ययनरत छात्र से अचानक अध्यापन का कार्य करवाया जाता है । अध्यापन कार्य से अनुभव विहीन व्याख्याता स्वयं ही विषय का चयन करता है व पढाने का तरीका भी सीखता है । कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना व्याख्याता पुनः तब करता है जब वह उपाचार्य के पद पर पदोन्नत होता है । 25-30 वर्ष के अध्यापन कार्य के पश्चात प्रशासनिक क्षेत्र में उसका यह पहला कदम होता है जहां वह फिर किंकर्तव्यता की स्थिति को प्राप्त होता है क्योंकि अब तक के उसके कार्यकाल में उसने इस प्रकार

के कार्यों को कभी सम्पादित नहीं किया । अब वह पूर्णतः कार्यालय स्टाफ पर निर्भर रहता है जिसके कारण प्रशासनिक दक्षता में कमी आती है । उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु यह अति आवश्यक है कि व्याख्याताओं व उपाचार्यों को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाये

इन सभी बिन्दुओं की पृष्ठभूमि में विविध विकल्पों पर विस्तृत चर्चा के पश्चात यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा विभाग एक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करेगा जिसका नाम

उच्च शिक्षा अकादमी, शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र (हार्ट)

रखा जाना प्रस्तावित है ।

विभाग में प्रशिक्षण, शोध तथा अन्य संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशिक्षित व्याख्याता उपलब्ध है जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित सभी समस्याओं के निवारणार्थ कार्य करने में सक्षम है ।

कौशल

प्रशिक्षण

ज्ञान

दृष्टिकोण

हार्ट, विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यों का पूरक बनेगा तथा उन्हें एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करेगा । परिवर्तित वैश्विक दृश्यों तथा निरन्तर परिवर्तित होती प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न पाठयक्रम आयोजित करेगा ।

प्रशिक्षण का वर्गीकरण					
क्र. सं.	सामान्य	क्र. सं.	आवश्यकता जनित प्रशिक्षण	क्र. सं.	प्रशिक्षण के नये आयाम
1	नव नियुक्त व्याख्याताओं हेतु फाउण्डेशन कोर्स	1	यूजीसी निधि का वित्तीय प्रबन्धन	1	प्रश्नावली तैयार करना
2	नव नियुक्त प्राचार्यों हेतु फाउण्डेशन कोर्स	2	महाविद्यालयों का वित्तीय प्रबन्धन	2	आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य
3	समय प्रबन्धन	3	आहरण एवं वितरण अधिकारियों हेतु पाठयक्रम	3	उच्च शिक्षा संबंधित साहित्य का प्रकाशन
4	तनाव प्रबंधन	4	विधायी मुकदमों संबंधी पाठयक्रम	4	शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योजनाओं हेतु सलाह
5	जीने की कला	5	सेवा नियम क्रियान्विति पाठयक्रम	5	विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन करना

6	समसामयिक विषयों पर कार्यशाला	6	कम्प्यूटर शिक्षा कार्य करने का कोर्स	6	राज्य सरकार के नीति निर्माताओं हेतु सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना
7	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों हेतु आमुखीकरण व पुनश्चर्या कोर्स	7	इन्टरनेट पर कार्य करने का प्रशिक्षण	7	आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करना ।

लक्ष्य

- उच्च शिक्षा विभाग में नव नियुक्त शैक्षणिक फ़ैकल्टी को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ।
- उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य सरकार के नीति निर्माण की रूपरेखा/ढांचा बनाने में उत्प्रेरक माध्यम के रूप में कार्य करना ।
- आवश्यकता जनित शोध कार्य संचालित करना
- शोध एवं अनुसंधानोन्मुखी लेख प्रकाशित करना
- विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग करना
- सम सामयिक शैक्षणिक मुद्दों पर सेमिनार /सम्मेलन /सिम्पोजिय का आयोजन करना
- संबंधित विषयों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार एवं परिवर्धित करना
- कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना

उद्देश्य

- उच्च शिक्षा विभाग में नव नियुक्त फ़ैकल्टी हेतु आमुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन/संचालन करना
- उच्च शिक्षा विभाग की शैक्षणिक फ़ैकल्टी के विषय संबंधी ज्ञान की नवीनतम जानकारी एवं अभिवृद्धि हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना
- उच्च शिक्षा सेवा के अधिकारियों हेतु फाउण्डेशन पाठ्यक्रमों का संचालन करना
- विभाग की आवश्यकता के अनुरूप अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन करना
- एएससी के साथ संयुक्त रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहयोग एवं सहायता तथा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित /आयोजित करना
- समयबद्ध पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना
- राजस्थान सरकार तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं कार्पोरेट निकायों, संगठनों आदि द्वारा मांग करने पर सलाहकार सेवा प्रस्तावित /उपलब्ध करवाना
- स्वतंत्र रूप से अथवा सरकारी, गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा मनोनीत माध्यम के रूप में प्रोजेक्टों का आंकलन एवं मूल्यांकन करना
- भारत में तथा विदेशों में प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना तथा संबंध बनाए रखना, प्रकाशित सामग्री का आदान प्रदान करना अन्य शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना
- रचनात्मक रचनाओं की अभिवृद्धि हेतु शोध पत्रों, रचनाओं के प्रकाशन गृह के रूप में कार्य करना
- आवश्यकता आधारित शोध हेतु शोध कर्ताओं को एक मंच उपलब्ध करवाना
- प्रचलित शैक्षणिक योजनाओं का विश्लेषण करना तथा सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनको परिभाजित एवं परिवर्धित करना
- उच्च शिक्षा में नवाचारों के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण करने का प्रयत्न करना

- विभिन्न समूहों हेतु सेमीनार/ सम्मेलन/ वर्कशॉप /व्याख्यान आयोजित करना
- कम्प्यूटर शिक्षा /नैट वर्किंग आदि पर प्रशिक्षण आयोजित करना
- प्रतिभागियों के ज्ञान कौशल एवं दृष्टि की अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना

कार्य

उच्च शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु हार्ट संस्था आयुक्तालय कालेज शिक्षा के अधीन अकादमिक शाखा के रूप में कार्य करेगी ।

- ऐसी सभी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को संचालित करने में सहायता प्रदान करना जो संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ाते हों ।
- पारस्परिक सहमति एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न दान दाताओं से अनुदान व दान प्राप्त करना जो उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण व शोध संबंधित गतिविधियों की वृद्धि करें ।
- उपर्युक्त उद्देश्यों एवं कार्यों के बेहतर सम्पादन हेतु की जाने वाली गतिविधियों का निष्पादन ।